दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) श्निवार,03 जुलाई, 2004 / आषाढ़ 12, 1926 (शक)

संख्या: 43

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तीसरी विधान सभा के दूसरे सत्र का प्रारंभ:

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तीसरी विधान सभा का दूसरा सत्र मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई, 2004 को अपराहन 2.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली में प्रारंभ होगा।

दूसरे सत्र के दौरान कार्य निष्पादन के लिये दिनों का आवंटन:

कार्य निष्पादन हेतु विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर 20 से 23,26 से 30 जुलाई,2004 तथा 2 से 4 अगस्त,2004 के लिए निर्धारित की गई हैं ।

विधान सभा की बैठकों का समय:

विधान सभा की बैठकें अपराहन 2.00 बजे प्रारंभ होगी और तब तक चलेंगी जब तक उसे उस दिन के लिये स्थिगित न कर दिया जाये।

प्रश्नों की सूचनाएं एवं बैलेट:

सत्र की लम्बी अवधि को मद्देनजर रखते हुए प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं बैलेटिंग की तिथि माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार इस प्रकार से निर्धारित की गई है जिससे कि सदन के कार्य में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे तथापि बजट सत्र के लिये प्रश्नों की सूचनाएं तत्काल प्रभाव से प्राप्त की जायेगी ।

दूसरे सत्र के दौरान प्रश्नों के उत्तर देने के लिये दिनों का आवंटन(नियम-37):

मंत्रियों द्वारा दूसरे सत्र में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नानुसार दिनों को निर्धारित किया गया है: -

क्र. सं.	विभाग	बैठक की तिथि	कॉलम-2 में दर्शाये विभागों से संबंधित प्रश्नों के नोटिस प्राप्त करने की तिथि (अप. 3.00 बजे तक)	मीखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए बैलेटिंग की तिथि (अप. 5.00 बजे)
1	2	3	4	5
1	खाद्य एवं आपूर्ति, सेवाएं, कारागार,	वृहस्पतिवार	शुक्रवार	शुक्रवार
	प्रशासनिक सुधार, कला एवं साहित्य,	22.7.04	9.7.04	9.7.04
	शिक्षा,चुनाव,भाषा, सामान्य प्रशासन,उच्च	वृहस्पतिवार	शुक्रवार	शुक्रवार
	शिक्षा	29.7.04	16.7.04	16.7.04
2	भूमि एवं भवन, लोक निर्माण तथा आवास, विकास, पर्यटन, गुरुद्वारा चुनाव एवं गुरुद्वारा प्रशासन	शुक्रवार 23.7.04	शुक्रवार 9.7.04	शुक्रवार 9.7.04
		शुक्रवार 30.7.04	शुक्रवार 16.7.04	शुक्रवार 16.7.04
3	वित्त, बिक्री कर, आबकारी, राजस्व,	सोमवार	मंगलवार	मंगलवार
	सहंकारिता, खाद्य अपमिश्रण निवारण,	26.7.04	13.7.04	13.7.04
	परिवहन, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं	सोमवार	मंगलवार	मंगलवार
	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण	2.8.04	20.7.04	20.7.04
4	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं	मंगलवार	बुधवार	बुधवार
	परिवार कल्याण, जन सम्पर्क, श्रम, सिंचाई	27.7.04	14.7.04	14.7.04
	एवं बाढ़ नियंत्रण, उद्योग, जल, सूचना एवं प्रौद्योगिकी , सतर्कता, विधि न्याय एवं विधायी कार्य, गृह	मंगलवार 3.8.04	बुधवार 21.7.04	बुधवार 21.7.04
5	शहरी विकास, ऊर्जा, पर्यावरण, वन एवं	बुधवार	वृहस्पतिवार	वृहस्पतिवार
	वन्य जीवन, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा,	28.7.04	15.7.04	15.7.04
	रोजगार्,योजना	बुधवार 4.8.04	वृहस्पतिवार 22.7.04	वृहस्पतिवार 22.7.04

टिप्पणी

1. प्रश्न सामान्यतः एक ही विभाग से संबंधित होने चाहिए (नियम-31(xxii)) दूसरे सत्र हेतु प्रश्नों की सूचना **तत्काल प्रभावी** होगी ।

2. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि कालम 3 और 4 के अनुसार यदि विभिन्न विभागों से संबंधित किसी प्रश्न की सूचना अंतिम तिथि और समय के पश्चात प्राप्त होगी तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जायेगी । सूचनाएं प्राप्त करने का समय अपराह्न 3.00 बजे तक है ।

3. जहां प्रश्न में किसी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार का हवाला दिया जाये, वहां ऐसे प्रश्न को ग्राह्य बनाने हेतु उसके साथ संबंधित समाचारों की कतरन नत्थी करना आवश्यक है। इस तरह के जिन प्रश्नों के साथ संबंधित समाचारों की कतरनें नत्थी नहीं की जायेंगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

प्रश्नों को संयुक्त केवल उसी स्थिति में किया जायेगा, जब एक ही तरह के विषय पर बहुत से 4. प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त होंगी । बाद में प्राप्त की गयी सूचनाएं, यदि उसी विषय से संबंधित होगी तो उन्हें नियम-31(vii) के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जायेगा ।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रश्नों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत स्पष्टता और 5. सफाई से दें । यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्राथमिकता का निर्णय

नियमों के अनुसार किया जायेगा।

प्रश्नों की बैलेटिंग सचिव के कमरा नं.54 में दिए गये समयानुसार की जायेगी । सभी माननीय 6.

सदस्य बैलेटिंग में सम्मिलत होने के लिए आमंत्रित है ।

माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि दिल्ली नगर निगम के दैनिक प्रशासन और कार्यकलापों से 7. संबंधित सूचनाएं न दी जाएं । ऐसे प्रश्नों को नियम 31(xiii) के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जायेगा ।

नियम 280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख:

जो माननीय सदस्य नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिन/तिथि को उठाना चाहते है, प्रस्तावित विषय की सूचना उसी दिन पूर्वाहन 11.00 बजे तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 11.15 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी । माननीय सदस्यों से बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतू अनुरोध किया जाता है ।

सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8-10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय केवल मूल पाठ हीं पढ़ें । विषय केवल एक ही विभाग एवं एक मुद्दे से संबंधित होना चाहिए । विधान सभा सचिवालय संबंधित विभाग को प्राय: उल्लेख के पाठ को हीं अग्रिम कार्यवाही हेत् भेजता है ।

गैर सरकारी सदस्यों का कार्य:

शुक्रवार, 23 जुलाई,2004 एवं 30 जुलाई 2004 को होने वाली सदन की बैठक की तिथि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों के लिए आबंटित की गयी है।

शुक्रवार, 23 जुलाई,2004 को लिये जाने वाले गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों की सूचनाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि 09 जुलाई, 2004 को अपराहन 3.00 बजे तक है एवं इनके लिये बैलेटिंग उसी दिन अपराहन 4.00 बजे सचिव के कक्ष में होगी।

शुक्रवार, 30 जुलाई, 2004 को लिये जाने वाले गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों की सूचनाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2004 को अपराहन 3.00 बजे तक है और इनके लिये बैलेटिंग उसी दिन अपराहन 4.00 बजे सचिव के कक्ष में बैलेटिंग होगी। माननीय सदस्यों का बैलेटिंग में भाग लेने के लिए स्वागत है।

नोटिसों की प्रक्रिया

- सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 258 की ओर आकर्षित किया (क) जाता है, जो इस प्रकार से हैं: -
 - नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना लिखित रूप में सचिव को सम्बोधित करते हुए दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जायगी जिसमें उसकी विभाजन संख्या भी दर्शायी जायेगी तथा कार्यालय में ही दी जायेगी जो कि इस प्रयोजन के लिये शनिवार, रविवार या सार्वजनिक छट्टी के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन समय-समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के लिये खुला रहेगा ।

- (4) सूचना कार्यालय में उप-नियम (1) के अंतर्गत अधिसूचित समय के बाद प्राप्त हुई सूचनाएं अगले कार्य दिवस के लिये दी गई समझी जायेगी ।
- (ख) नोटिस देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर मत विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए और उसे विधान सभा के नोटिस कार्यालय में जमा कराना चाहिए । नोटिस कार्यालय कमरा नंबर 46 (समाज कल्याण मंत्री के कार्यालय से आगे) स्थित है ।
- (ग) विधान सभा के नोटिस कार्यालय में दिए गए सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है ।
- (घ) विधान सभा के नोटिस कार्यालय ही सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है । अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सूचनाएं न तो सदन पटल पर रखें और न हीं विधान सभा के किसी अन्य अधिकारी/शाखा को दें यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उनके द्वारा दिये गये नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा।
- (ड.) विधान सभा नोटिस कार्यालय द्वारा नोटिसों को प्राप्त करने के लिए। विनिर्दिष्ट समय उनके लिए उल्लिखित तिथियों को प्रातः 10.00 बजे से अपराहन 3.00 बजे के बीच है । माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु नोटिस कार्यालय कार्यालय समय (प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक) के दौरान खुला रहेगा ।

दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र :

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी कराने के आवेदन-पत्र जिस दिन के लिए प्रवेश पत्र चाहिए, उस दिन से पूर्व एक कार्य दिवस को अपराहन 5.00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जाएं । उदाहरणार्थ 20/07/2004 को होने वाली सदन की बैठक के लिए दर्शक दीर्घा के लिये आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात् 19/07/2004 को अपराहन 5.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे । इसी प्रकार अनुवर्ती तिथियों के दीर्घा प्रवेश पत्रों के लिये आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जायेगी और वे इसी प्रकार से स्वीकार किये जाएंगे ।

दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे । दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश-पत्र सामान्यतः उसी दिन जारी नहीं किये जाएंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों की सिफारिश करें जिनके चरित्र के बारे में वे भली-भांति जानते हैं।

टिप्पणी:

कृपया मोबाइल टेलिफोन आदि सदन के बाहर हीं रखें । यदि किसी कारणवश ले आये हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सदन में इनके स्विच बंद रहें ।

> सिद्धार्थ राव सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters) Saturday 3rd July 2004 / 12 Aashad 1926 (Saka)

No. 43

COMMENCEMENT OF THE SECOND SESSION (BUDGET SESSION) OF THE THIRD LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI:

Hon'ble Members are informed that the Second Session (Budget Session) of the Third Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Tuesday, the 20th July 2004 in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi

ALLOTMENT OF THE DAYS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS DURING SECOND SESSION:

The sittings of the Legislative Assembly for the transaction of business have been tentatively fixed for 20th to 23rd July 2004, 26th to 30th July 2004 and 2nd to 4th August 2004.

TIME OF SITTINGS:

The sittings of the Legislative Assembly shall commence at 2.00 P.M. and continue till it is adjourned for the day.

NOTICES OF QUESTIONS:

Notices of questions for the Second Session will be received with immediate effect. As per the Hon'ble Speaker's directions in view of the three week long session, the last date of receipt of questions and the date of balloting have been so arranged as not to cause any possible dislocation of the business of the House.

ALLOTMENT OF DAYS FOR ANSWERING QUESTIONS DURING THE SECOND SESSION (RULE 37):

For the Second Session (Budget Session), the days for answering questions by Ministers in respect of various Departments have been arranged as under:

SI. No.	Groups of Departments	Date of sitting	Last date for receipt of questions for the Department in col. 2 (Up to 3.00	Date of holding ballot for determination of priority for oral questions (At 5.00 PM)
1	2	3	PM)	5
	Food & Supplies, Services, Jail, Administrative Reforms, Art & Culture, Education, Election, Languages, General Administration, Higher Education	Thursday 22 nd July 2004	Friday 9 th July 2004	Friday 9 th July 2004
		Thursday 29 th July 2004	Friday 16 th July 2004	Friday 16 th July 2004
2	Land and Building, PWD & Housing, Development, Tourism, Gurudwara Administration & Gurudwara Elections	Friday 23 rd July 2004	Friday 9 th July 2004	Friday 9 th July 2004
		Friday 30 th July 2004	Friday 16 th July 2004	Friday 16 th July 2004

3	Finance, Sales Tax, Excise,	Monday 26 th July 2004	Tuesday 13 th July 2004	Tuesday 13 th July 2004
	Revenue, Cooperative, Prevention of Food Adulteration, Transport, Welfare of SC/ST/OBCs, Social	Monday 2 nd August 2004	Tuesday 20 th July 2004	Tuesday 20 th July 2004
4	Welfare Medical & Public Health, Health and Family Welfare, Public Relations, Labour, Irrigation & Flood Control, Industries, Water, Information Technology, Vigilance, Law Justice & Legislative Affairs, Home	Tuesday 27 th July 2004	Wednesday 14 th July 2004	Wednesday 14 th July 2004
		Tuesday 3 rd August 2004	Wednesday 21st July 2004	Wednesday 21st July 2004
5	Urban Development, Power, Environment, Forest & Wildlife, Training &Tech. Education, Employment, Planning	Wednesday 28 th July 2004	Thursday 15 th July 2004	Thursday 15 th July 2004
		Wednesday 4 th August 2004	Thursday 22 nd July 2004	Thursday 22 nd July 2004

- The question should primarily relate to one Department only {(Rule 31(xxii))}. Note: (1)
- Members may kindly note that if notice of question is received after the last date and time in respect of various departments vide col. No.3 and 4, such a notice shall stand disallowed. The time for receipt of (2) notices shall be up to 3.00 P.M. on the last date of receipt of questions for departments as shown in column 4 above.
- Where the questions draw a reference to a news item published in a national or local daily, the question in order to be admissible, must be accompanied by the relevant clipping of the news (3) items. The questions not accompanied by relevant clippings are likely to be disallowed.
- The clubbing of questions will be done in case several notices of question on the same subject matter are received. Notices or questions subsequently received and repeating in substances the same subject (4) - matters are liable to be disallowed {(Rule 31 (vii)}.
- Members are requested to indicate clearly and legibly their priority in respect of questions. If no priority is indicated, the same will be decided according to the Rules. (5)
- Ballot will be held in the room of the Secretary (Room No. 54) as per schedule indicated. Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting. (6)
- Members may kindly note that notices of questions relating to day- to day administration and functioning of Municipal Corporation of Delhi may not be entertained. The same are liable to be (7) disallowed under Rule 31(xiii).

SPECIAL MENTIONS UNDER RULE 280: Members who want to raise matters under Rule 280 may give notice of the same by 11.00 A.M. on the day the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 notices will be held in the room of the Secretary at 11.15 AM on each day. Hon'ble Members are requested to participate in the balloting.

Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

PRIVATE MEMBER'S BUSINESS:

The sittings of the House to be held on Friday the 23rd and 30th July 2004 have been allotted for Private Members Bills and Resolutions.

The last date of receipt of notices of Private Member's Bills and Resolutions is Friday the 9th July 2004 (up to 3.00 PM) in respect of notices for 23rd July 2004 and the balloting shall take place at 4.00 PM

on same day in the room of Secretary.

Notices of Private Member's Bills and Resolutions for 30th July 2004 shall be received up to 3.00 PM on Thursday the 15th July 2004 and the balloting shall take place at 4.00 PM on same day in the room of Secretary. Members are welcome to participate in the balloting.

PROCEDURE OF NOTICES:

(a) Kind attention of the members is invited to Rule 258 of the Rules of Procedure and Conduct of Business

in the Legislative Assembly which reads as follows: -

- (1) Every notice required by the rules shall be given in writing addressed to the Secretary and signed by the member giving notice, also indicating his division number, and shall be delivered in the Notice Office between such hours as notified from time to time, on every day except Saturdays, Sundays and public holidays.
- (2) A notice received in the Notice Office after the hours other than those specified in sub-rule (1) shall be treated as given on the next working day.

(b) The Notice Office is located in Room No. 46

- (c) All notices delivered in the Assembly Notice Office are date-stamped and the time of receipt is also indicated thereon.
- (d) As the Assembly Notice Office is alone responsible for transmission of the notices to the Branches/Officers concerned without delay, Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Members do so, it is not likely to be taken note of.
- (e) The Assembly Notice Office shall remain open during office hours i.e. 9.30 AM to 6.00 PM.

VISITORS' GALLERY:

As per direction of Hon'ble Speaker, Application forms for the issue of visitors' gallery passes must be submitted by 5.00 PM on the working day previous to the date for which the gallery passes are required. For example, application for the gallery passes meant for sitting of the House on 20th July 2004 will be accepted up to 5.00 PM on the earlier working day i.e. 19th July 2004. Similarly, an application for gallery passes for the subsequent dates would be processed and issued in the like manner.

The seating capacity in the visitors' gallery being limited, not more than two passes shall ordinarily be issued to a member for each sitting. No admission cards for the Visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

Members are requested to recommend issue of gallery pass only for those visitors whose antecedents are well known to them.

NOTE: - HON'BLE MEMBERS MAY KINDLY ENSURE THAT CELLULAR PHONES, PAGERS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC ARE KEPT OUTSIDE THE HOUSE OR ARE KEPT SWITCHED OFF.

> Siddharath Rao Secretary